

पूना समझौता - अंततः एक समझौता हुआ जिस
पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जानने
है। 24 सितंबर 1932 में डा. कृष्णकांत तथा
अन्य नेताओं के प्रयत्न से यह समझौता हुआ
जिसे तब दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक
मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका
सभा में अल्पसंख्यकों के स्थान हिन्दुओं के अंतर्गत
ही सुनिश्चित रहे गए। दलित वर्ग को सार्वजनिक
सेवाओं एवं स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक
योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की
व्यवस्था की गई।

भारत छोड़ो आंदोलन

1942 में आर क्रिस्म मिशन के प्रस्ताव
भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में असमर्थ रहे तथा
साम्राज्य तथा भारतीयों के किली वर्ग की सहमति प्राप्त
नहीं कर सके। इसने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के
स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की बात
की। अतः कांग्रेस कार्यसमिति ने बर्धा की बैठक में
भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।
8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव
पारित किया। इसके तहत घोषणा की गई कि भारत
में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाये।

गांधीजी ने समाज के विभिन्न वर्गों को विभिन्न निर्देश दिए जो इस प्रकार हैं -

1. सत्कारि स्वयं त्यागपत्र नहीं दें लेकिन कांग्रेस से अपनी राजभक्ति घोषित कर दें।
2. सेना से त्यागपत्र नहीं दें किंतु अपने सहयोगियों एवं भातियों पर जोली नहीं चलाएं।
3. छात्र, यदि कालविश्वास की भावना हो तो सत्कारि शिक्षण संस्थानों में जाना बंद कर दें।
4. कृषक, यदि जमींदार सत्कार विरोधी हो तो लगान अदा करते रहें किंतु यदि जमींदार सत्कार समर्थक हो तो लगान अदा करना बंद कर दें।
5. राजे-महाराजे जनता को सहयोग करें तथा अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें।

9 अगस्त को प्रातः ही सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। इनकी गिरफ्तारी से आंदोलन जनता के हाथों में आ गया। जनता ने सत्कारि प्रतीकों पर आक्रमण किया तथा सत्कारि भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया। स्वत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियों दी, पुल उड़ा दिए गए, रेलों की पटरियां उखाड़ दी गईं, तार एवं टेलीफोन की लाइनें काट दी गईं। राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आनंद आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी आदि भूमिगत गतिविधियां संचालित करने वाले अग्रगण्य नेताओं में से थे।

Dr. Anura Agr
Asst. Professor.